विचार बिन्दु

अवसर तो सभी को ज़िंदगी में मिलते हैं किंतु उनका सही वक्त पर सही तरीक़े से इस्तेमाल कितने कर पाते हैं?

–संतोष गोयल

हमारे पंच परमेश्वर कितने परमेश्वर हैं?

लोकतंत्र की व्यवस्था ही ऐसी होती है कि व्यक्ति को न्याय मिले। न्याय उसका अधिकार है। विवाद प्रत्येक स्तर पर होते रहते हैं और होते रहेंगे। व्यक्ति अकेला नहीं जीता, समूह में जीता है। विवाह की एक संस्था के कारण एक से दो होते हैं और फिर परिवार बनता है। इस समूह का विस्तार होकर वह समूचे विश्व व समूचे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। निश्चय ही समस्त जीव जगत ही नहीं निर्जीव जगत से भी मानव को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बिठाने हेतु उसके पांच मूलभूत तत्वों के साथ समायोजन न होने पर प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है और उसके कारण हो रही प्राकृतिक आपदायें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व स्तरीय संस्थाएं भी बनानी पड़ी हैं। कहने का आशय यह है कि प्रत्येक स्तर पर विवाद हेतु मानव ने न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया है। हमारे देश में भी इन्हीं विवादों को निपटाने हेतु प्रशासनिक, राजनीतिक व न्यायिक संस्थाऐं हैं जिन्हें हम क्रमशः कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संज्ञा देते हैं। पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक ढांचा है। विधायिका के अन्तर्गत राज्य में विधानसभाएँ व केन्द्रीय स्तर पर संसद है। एक और संस्था पंचायत से लेकर पंचायत राज्य मंत्री तक जाती है। स्वायत्त शासन की भी एक संस्था है जिसमें नगर पालिका व विकास प्रन्यास अथवा विकास ऑथोरिटी आ जाते हैं। जो इकाइयाँ निर्वाचन से बनती हैं वे विधायिका की तरह काम करती हैं और जहाँ निर्वाचन नहीं होते वे प्रशासनिक इकाइयों की तरह काम करती हैं। बहरहाल विधायी एवं प्रशासनिक इकाइयों का नीचे के स्तर पर जो अन्तर्सबंध है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करती है। इनमें अन्तर्सबंध न होने पर किसी भी एक के निरंकुश होने की संभावना हो सकती है। राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेना का मुखिया है, और संसद के निर्णय पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। उच्चतम न्यायालय के मृत्युदंड के निर्णय पर भी राष्ट्रपति निर्णय देता है। कार्यपालिका के निर्णय की अपील न्यायपालिका में की जाती है। संसद के निर्णय की संवैधानिक समीक्षा भी उच्चतम न्यायालय करता है।

यह संपूर्ण भूमिका इसलिये है कि सभी स्तरों का निर्णय तथा उनकी अपील व समीक्षा हेतु इकाइयों का प्रावधान है जो निर्णय करती हैं। लेखक की यह मान्यता है कि जहाँ कहीं बिना निर्वाचन के जो तंत्र बना है और उसके जिस भी स्तर पर निर्णय दिया जाता है वह व्यक्ति व समूह उस स्तर पर पंच-सरपंच का कार्य कर रहा है। निर्णयकर्ता जो भी पंच-सरपंच हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ईश्वर के नाम पर तथा संविधान के अन्तर्गत न्याय करें। विधायिका में भ्रष्ट लोग आ जाते हैं जो स्वार्थ के वशीभूत निर्णय देते हैं, दलीय आधार पर निर्णय करते हैं। प्रशासनिक तंत्र भी घोर भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और निष्पक्ष नहीं रह पाता। अन्ततोगत्वा न्यायपालिका ही आशा की किरण बनती है। इस दृष्टि से हाल ही सोशल मीडिया पर एक चर्चा ज़ोरों पर है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र का उल्लेख है। इस तथाकथित पत्र में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने हेतु सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिखे पत्र के मुख्य बिंदुओं का भी उल्लेख है। ये समाचार सत्य है कि नहीं परन्तु तथाकथित प्रत्युत्तर के बिंदु सभी के लिये विचारणीय हैं विशेष रूप से न्यायपालिका के लिये।

सोशल मीडिया को भी ग़ैर ज़िम्मेदार कहा जाता है। लोग न्यायपालिका की आलोचना से बचते हैं क्योंकि न्यायालय की अवमानना का डर रहता है। इसका यह आशय नहीं हो जाता कि न्यायपालिका दूध की धुली है। स्वयं मुख्य न्यायाधीश उसकी कमी दर्शा चुके हैं, अतः सोशल मीडिया की चर्चा पर सभी पक्षों को विचार करना चाहिये।

सोशल मीडिया की चर्चा में संपूर्ण न्यायपालिका एवं मुख्यरूप से उच्चतम न्यायालय पर ये बिंदु लागू होते हैं। सामान्यतः 2 से 3 बजे तक सामान्यतः पीठासीन अधिकारी लंच रखते हैं और 4 बजे कार्य बंद हो जाता है। अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह 9 से 6 तक कार्य क्यों नहीं हो पाता और क्या उसे लागू नहीं किया जा सकता? उल्लेखनीय है कि फैसले तो प्रशासनिक कार्यालयों में भी राजस्व और कुछ फौज़दारी मामलों के दिये जाते हैं और लम्बे-लम्बे निर्णय लिखाने भी पड़ते हैं। न्यायपालिका पर भार अधिक है तो शनिवार की छुट्टियों को भी कम किया जा सकता है। निश्चय ही जनहित में यह निर्णय लिया जा सकता है। शनिवार-रविवार का अवकाश अंग्रेज़ों के समय का तरीका रहा है और यह प्रयोग भारत के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सफल नहीं रहा है। लोगों में पुरानी 10 से 5 की आदत पड़ी हुई है। न्यायालय में गर्मी की छुट्टियों की निश्चय ही कोई तुक नहीं है। न्याय तो 365 दिन व 24 घंटे करना होता है। राजधर्म में राजा को न्याय हेतु सदैव उपलब्ध रहना होता है। अपराध करने वाले तो छुट्टियों का नाजायज़ लाम उठाते हैं और इन दिनों कई अपराध बढ़ते हैं। कई बार रात्रि में भी सुनवाई की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्कयता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु सीमा अधिक है और राज्यकोष से सभी सुविधाऐं यथा कार, बंगला, सुरक्षा, भरपूर वेतन तथा केबिनेट मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिश्रम की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। प्रधानमंत्री 365 दिन काम करते हैं और न्यायालय काफी कम दिन ही कार्य कर पाता है। जनहित याचिकाओं को प्रथम दृष्टया अनावश्यक पाये जाने पर कड़ी कार्यवाई होनी चाहिये और महत्वहीन जनहित याचिकाओं को निरूत्साहित करना आवश्यक है। कई बार महत्वहीन छोटी-छोटी बातों पर की गई याचिकाओं पर समय व्यर्थ चला जाता है। कई बार 2, 3, 5 जजों की बेंच बनती है, इसमें औचित्यपूर्ण कमी की जा सकती है।

न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसमें अन्य कई कारण भी हैं। वकीलों द्वारा पेशी बदलवाते रहना, जज द्वारा उसकी स्वीकृति देते रहना, पक्ष-विपक्ष की विलम्ब कराने की प्रवृत्ति, जज का अवकाश में होना, शौक सभा व अन्य अवसरों पर सुनवाई रोक देना आदि भी कारण बनते हैं। न्यायपालिका का अंग्रेज़ों वाला पेटर्न बदलना चाहिये। वकील, सरकार व जज बैठ कर हमारी न्याय संहिताओं को अधिक व्यावहारिक बनायें तो उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट तक साधारण, सामान्य निर्धन व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता वह अत्यधिक व्यय-साध्य है, इस पर भी विचार होना चाहिये।

न्यायालय बेतहाशा बढ़े हैं परंतु न्यायालयों और जज की मांग निरंतर बढ़ती जाती है। इस देश की परिस्थितियों में लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ को अधिक ईमानदारी व परिश्रम से काम करना होगा, तभी समस्याऐं सुलझेंगी। सोशल मीडिया द्वारा उठाये गये बिंदु कितने सही व सार्थक हैं इन पर जन साधारण विचार करेगा ही, परंतु इतना तो सही है कि न्यायपालिका की कई कार्रवाइयों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है तभी पंच परमेश्वर बन सकेंगे।

कार्यपालिका में नौकरशाही की खुलकर आलोचना होती ही रहती है। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के उदाहरण भी सामने आते ही रहते हैं। उन पर कार्यवाई भी होती है, परंतु वह अभी प्रभावी नहीं हो पाई है। लोगों में यह अवधारणा है कि बिना रिश्वत के अथवा बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता। अपवादों की चर्चा तो सामान्यतः होती ही नहीं जो स्वाभाविक है। इसी प्रकार राजनेताओं के भ्रष्टाचारों की भी खूब चर्चा होती है। उनमें कई दागी, अपराधी हैं, यह भी सच है। उनमें दल बदलने की प्रवृत्ति अधिक है। उनका कोई आदर्श, कोई सिद्धांत नहीं हैं, मात्र स्वार्थ ही प्रधान होता है, सेवा भावना नहीं। मीडिया में झूठी व फर्जी खबरें फैलाई जाती है। सोशल मीडिया को भी ग़ैर ज़िम्मेदार कहा जाता है। लोग न्यायपालिका की आलोचना से बचते हैं क्योंकि न्यायालय की अवमानना का डर रहता है। इसका यह आशय नहीं हो जाता कि न्यायपालिका दूध की धुली है। स्वयं मुख्य न्यायाधीश उसकी कमी दर्शा चुके हैं, अतः सोशल मीडिया की चर्चा पर सभी पक्षों को विचार करना चाहिये। केन्द्रीय कानून मंत्री ने भी एक सुझाव दिया था कि जजों के चयन में वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। जजों के चयन में सिफारिश, पक्षपात, राजनीतिक दखल आदि का कोई स्थान न रहे और वह और पारदर्शी हो सके यह प्रयास हो जिससे कि हमारे पंच वास्तव में परमेश्वर बन सकें।

–अतिथि सम्पोदक,
कैलाश विहारी वाजपेयी,
(स्वतंत्र चिंतक व लेखक)

कर्मयोगी : घुमन्तू

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकेवं विचारक भाई दुर्गादास जी द्वारा लिखित पुस्तक ''अपने घुमन्तु'' पढ़ ने पर भारतीय संस्कृति के पुरोधा तथा पुरूषार्थी समूह के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, मैं स्तब्ध रह गया। जन समूह भी छोटा-मोटा नहीं अपितु जिनकी संख्या करोड़ों में होते हुए भी समाज, सरकार और मीडिया की नजरों से औझल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान जैसी प्राथमिक मानवीय आवश्यकताओं से वंचित रहने के बावजूद हमारी परम्पराओं और संस्कृति का संरक्षक बन कर सभी प्रकार की विषम एवं विपरीत परिस्थितियों में भी उसे सम्भालने का उत्तरदायित्व बखूबी निभा रहा है।

दूसरी ओर शैक्षणिक उन्नयन के शिखर पर बैठा समूह भारतीय संस्कृति से दूर भाग रहा है। पाश्चात्य संस्कृति को गर्व के साथ गले लगा रहा है। श्रेष्ठ कला एवं कौशल का पुजारी आजादी की जंग में बलिदान देने वाला जाबांज जनजाति समूह अंग्रेजी हुकुमत का शिकार भी रहा है। कष्ट का विषय तो यह है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी यह देश की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है।

''घुमन्तु'' अर्थात् जो अपने जीवन यापन तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घूमते रहते है। जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। जहाँ रात हो गयी, वहीं सो गये। यही इनके जीवन का यथार्थ है। यह यथार्थ बहुत कष्टदायक और चुनौतिपूर्ण है। जेल में सजा काट रहा कैदी भी इनसे कहीं अच्छा जीवन जी रहा है। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान इनकी अनवरत गति को कोई रोक नहीं पायें। श्रीकृष्ण के ''कर्म करते रहो'' के संदेश को घुमन्तु ने अक्षरशः अपने जीवन में उतारा है। घूमते-फिरते व्यवसाय करना, विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन से समाज का मनोरंजन करना, पशुपालन के साथ पशु व्यापार, परिवहन का कार्य करना, कारीगरी के माध्यम से घरेलू व कृषि उपकरणों के साथ-साथ अस्त्र-शस्त्र बनाना, राजा-महाराजाओं की सैन्य गतिविधियों में भाग लेना इनके मुख्य कार्य थे। घुमन्तु समाज एवं शेष समाज के आपसी संबंध मजबूत थे, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर थे।

आजादी के लिए 1857 की क्रान्ति में घुमन्तु समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। अंग्रेजों ने

डॉ. कैलाश सोडाणी

प्रतिशोध में 1871 में 'आपराधिक जनजाति अधिनियम' लागू किया, जिसके आधार पर लगभग 200 जनजातियों में जन्म लेने वाले नवजात के माथे पर 'चोर' शब्द खुदवाया जाता था। पिता थाने में जाकर अपने बेटे का नाम अपराधियों की सूची में लिखवाने के लिए मजबूर था। ऐसे पिता के दर्द को हम समझ सकते है। सौभाग्य से 81 वर्ष पश्चात् 1952 में यह काला कानून समाप्त किया गया।

भारतीय इतिहासकारों ने घुमन्तु जनजाति समूहों द्वारा ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ स्वतंत्रता आन्दोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज किया। इतिहास में इनके बलिदान को पर्याप्त एवं प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिया। उमा जी नाइक, भीमा जी नाइक, लक्खीशाह बंजारा, गोविन्द गुरू, संत सेवालाल जी महाराज, अमरा भगत आदि घुमन्तु समाज के प्रमुख महानायक रहे है, जिन्होने सामाजिक कुरूतियों को समाप्त करने के साथ-साथ आजादी के आन्दोलन के गौरवशाली सितारें भी थे।

देश में ज्ञान-विज्ञान के माध्यम से जैसे-जैसे विकास का रथ आगे बढ़ता गया ये जनजातियाँ अपने पारम्परिक व्यवसाय से हाथ धोती गयी। यातायात के आधुनिकीकरण की वजह से बंजारों का व्यवसाय कमजोर हो गया। तकनीकी विकास ने गाडिया लौहारों को बेरोजगार कर दिया। प्लास्टिक के खिलौनों ने कुचबन्दा समुदाय के मिट्टी के खिलौनों को बाजार से बाहर कर दिया। कम्प्यूटर ने समुदाय की पोथियों को छीन लिया। टी.वी., मोबाईल, इन्टरनेट के युग में मनोरंजन के लिए बहुरूपियें, बाजीगर, नट या कालबेलियों की कला के लिए लोगों के पास समय नहीं है। धीरे-धीरे इन लोगों की व्यावसायिक प्रासंगिकता शहर से कस्बों, कस्बों से गांवों, गांवों से दुर्गम स्थानों तक सिमटकर आज लगभग समाप्त ही हो चुकी है। विकास की आधुनिक दौड में घुमन्तु लगातार पिछडते जा रहे है।

राष्ट्र प्रेम और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कर्मयोगी घुमन्तु को गरीबी से मुक्त करने के लिए रोजगार से जोड़ना होगा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ घुमन्तु के घर तक पहुँचाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज बनाने होंगे। प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुँचाना होगा। बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करनी होगी।

ब्रिटिश राज से पहले घुमन्तु जनजातियों का जीवन सम्पन्न और सम्मान जनक हुआ करता था। हमें वहीं सम्पन्नता और सम्मान लौटाना होगा। माननीया द्रोपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना घुमन्तु समुदाय की दशा एवं दिशा बदलने के क्रम में एक अच्छी खबर है।

–डॉ. कैलाश सोडाणी,
कुलपति-वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

वर्ष भर पक्षियों के कलरव से आबाद रहेगा मोरेल बांध

लालसोट, (निसं)। उपखंड क्षेत्र के मोरेल बांध में आठ फीट पानी रिजर्व रखने के निर्णय के बाद पक्षी प्रेमियों एवं पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर देखी गई है। सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर जल वितरण समिति की बैठक के दौरान जिम्मेदारों के बीच यह निर्णय लिया गया। मोरेल बांध में देसी विदेशी विभिन्न पक्षियों के प्रवास के चलते पानी को रिजर्व रखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी ताकि आने वाले पक्षियों से आसपास की खेत की फसल में लगे कीटो से नुकसान होने से बचाया जा सके एवं वहां पर आने वाले सेलानियों के चलते स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो। बैठक सवाईमाधोपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें दौसा व सवाई माधोपुर के किसान व पदाधिकारी उपस्थित रहे। दौसा जिले से कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में उपखंड

मोरेल बांध में पर्याप्त जलभराव होने के चलते हजारों मील यात्रा तय कर आए राजहंस ग्रेटर फ्लैमिंगो कलरव करते हुए।

अधिकारी रामगढ़ पचवारा तथा उपवन संरक्षक वी केतन कुमार और पक्षिवीद डॉ सुभाष पहाड़िया मौजूद रहे। डॉ सुभाष पहाड़िया ने कलेक्टर सभागार में मोरेल बांध की जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों को लेकर प्रजेंटेशन दिया तथा बांध में 8 फिट पानी रिजर्व रखने की मांग रखी। जिसे आम सहमति से स्वीकार कर कलेक्टर द्वारा नहर खोलने के आदेश दिए। राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुभाष पहाड़िया पिछले चार सालों से मोरल बांध के संरक्षण के लिए प्रयासरत थे। हाल ही में डॉ पहाड़िया द्वारा संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर भी बांध के जल को आठ फिट रिजर्व रखने की मांग की गई थी। डॉ सुभाष पहाड़िया ने बताया की मोरेल बांध में आठ फिट पानी रिजर्व रखने से पक्षी प्रेमी बहुत खुश है। अब यहां प्रवासी पक्षी स्वच्छंद विचरण कर पाएंगे। बांध में पानी रहने से पक्षियों के लिए हैबिटाट विकसीत होगा। कई पक्षी प्रजातियां यहां प्रजनन करेगी और उनकी संख्या में वृद्धि होगी। ग्रीष्म ऋतु में जीव जंतुओं के लिए पीने के पानी का संकट नहीं होगा। स्थानीय भू जल स्तर में वृद्धि होंगी।

141वीं जयन्ती पर विशेष

किसान-मजदूर के दीनबंधु-चौधरी छोटूराम

चौधरी छोटूराम अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। किसान वर्ग द्वारा उन्हें कृषकों का मसीहा, रहबरे आजम तथा श्रमिक व दलित वर्ग ने दीनबंधु की उपाधियों से सम्मानित किया था। उनके लिए जाति या धर्म विशेष का कोई अन्तर नहीं था, जिसकी जीविका का मुख्य आधार कृषि है, वही किसान है। चौधरी छोटूराम वास्तव में महान् कर्मयोगी थे। उन्होंने जीवन पर्यन्त पंजाब, यूपी व राजस्थान (उत्तरी भारत) के किसान श्रमिकों तथा दलित शोषित वर्ग के हित में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से भूमि व ऋण उन्मोचन तथा लगान एवं अनेकों लाग-बाग करों से कानून बनवाकर, मुक्ति दिलायी। उनके सहयोग एवं सुधारों से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1937 में नाइट या सर की उपाधि से अलंकृत किया था।

छोटूराम का जन्म 24 नवम्बर, 1881 को माता हरकी देवी व पिता सुखीराम, ग्राम सांपला, तहसील झज्जर (रोहतक) वर्तमान हरियाणा में हुआ था। पिता कर्जे एवं मुकदमों में फँसे होने से आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा झज्जर में तथा आगे की पढ़ाई क्रिश्चन मिशन स्कूल में हुयी और सन् 1905 में सेन्ट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक किया था। उनका जन्म का का नाम राम रिछपाल था। किन्तु परिवार में सबसे छोटे होने से उन्हें प्यार से छोटूराम बोला जाता था। स्कूल में दाखिले के वक्त भी यही नाम लिखा दिया गया। आगे छोटूराम के नाम से पंजाब-हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में किसान कमेरा वर्ग के हितैषी नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1907 में आगरा (यू.पी.) से कानून की पढ़ाई कर डिग्री हासिल की।

विधि की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने, काला-कांकर के राजा रामपालसिंह के यहाँ निजी सचिव के रूप में कार्य किया और साथ-साथ यहीं से 1907 में अंग्रेजी अखबार 'हिंदुस्तान' का सम्पादन भी किया था। तदुपरांत 1912 में अपने मित्र चौधरी

यादराम सिंह यादव

लालचन्द के साथ आगरा में वकालत शुरू की एवं इसी वर्ष जाट महासभा का गठन किया। उसके बाद सन् 1916 में उन्होंने 'जाट गजट' नामक साप्ताहिक अखबार हिंदी में रोहतक से प्रारम्भ किया। वह अखबार में मजदूर-किसानों की समस्याओं को उठाते थे। अंग्रेजी सरकार तथा जमींदारों साहूकारों व सूदखोरों की गलत नीतियों के द्वारा शोषण दमन के विरूद्ध तीखे कटाक्ष भरे लेख लिखते थे।

'जाट गजट' हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो 106 वर्ष बाद आज भी प्रकाशित हो रहा है। इस पत्र को अंग्रेजी दौर में साप्ताहिक रूप से प्रकाशन के समय पन्द्रह सौ प्रतियाँ छपना शुरू हुयी थी। इसका उद्देश्य तो विशेषकर जाट जाति के उत्थान के लिए था किन्तु बाद में वह जमींदार पार्टी का कट्टर समर्थक बन गया। छोटूराम ने किसानों की जमीन गिरवी रखने, उन्हें बंधुआ मजदूरी कराने के लिए साहूकारों द्वारा उत्पीडन करने के खिलाफ आवाज उठायी। अपने पत्र में वह भ्रष्ट सरकारी अफसरों, सूदखोर, महाजनों के शोषण के विरूद्ध लेख लिखते थे। उन्होंने कोर्ट में भी इन शोषकों के विरूद्ध अनेक मुकदमें लड़े व जीते थे। सर छोटूराम ने अंग्रेजों से ही मोरों के शिकार पर भी पाबन्दी लगवा दी थी। इनके प्रमुख लेखों के शीर्षक 'मोर बचाओ', 'ठगी के

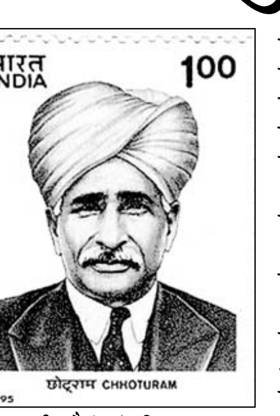

बाजार की सैर', 'पाकिस्तान, जाट नौजवानों की जिंदगी के लिए नुस्खे' आदि थे। सर छोटूराम अपने लेखों से साहूकार ही नहीं अंग्रेज अफसरों के विरूद्ध भी आम जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाते थे।

छोटूराम गांधीजी के असहयोग आन्दोलन 1920 से सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि इससे गरीब किसानों व श्रमिकों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए वह स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अलग हो गये। परन्तु मत भेदों के बावजूद वह गांधीजी के प्रशंसक भी थे।

सर छोटूराम ने किसानों के हित में दो बड़े महत्त्वपूर्ण कानून अंगेजों से पास कराये थे। '411' दी पंजाब रिलीफ इनडैब्टनैस एक्ट, 1934; '421' दी पंजाब डेब्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1936, इससे पूर्व पंजाब लैण्ड रैवन्यू एमैन्डमेन्ट एक्ट 1929 भी पास कराया था। इन कानूनों के लागू होते ही किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिली थी। इन कानूनों के तहत् किसानों की कर्जामुक्ति एवं जमींदारों-साहूकारों व सूदखोरों से गिरवी रखी जमीनें किसानों को वापस मिली एवं वे जमीनों के मालिक बन गये। इसके तहत् किसानों द्वारा जमींदारों-साहूकारों से लिया गया ऋण नकद या जमीन गिरवी रखने पर ऋण की दो गुनी रकम चुकाने पर ऋण एवं भूमि मुक्ती का प्रावधान किया गया था। इससे हजारों किसानों, जमींदारों, साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गये। यह व्यवस्था 'दाम-दुपट्टा' कहलाती थी। इसके अलावा छोटूराम ने बालश्रम एवं बंधुआ मजदूरी पर कानून बनाकर पाबन्दी लगवायी। मजदूरों को काम के 8 घंटे तय किये गये एवं सप्ताह में एक छुट्टी का नियम बनवाया।

सर छोटूराम ने अंगेजों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी मांग पर 22,000 से अधिक युवक सेना में भर्ती कराये। इनकी वफादारों से खुश होकर अंग्रेजों ने भांखड़ा नांगल बांध के निर्माण एवं सतलज नदी के पानी के लिए जिस पर बिलासपुर 'एच.पी.' के राजा का अधिकार था। छोटूराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर राजा से लिखित में समझौता कराके पानी का अधिकार प्राप्त किया था। उन्होंने दलित शिक्षित युवकों को ऊँचे-ऊँचे पद देकर अपनी उदारता व दलित प्रेम का परिचय दिया। छोटूराम ने स्वयं एक गांव में जाकर अछूतों को कुएँ पर चढ़ाया जाकर पानी भरवाना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष/आन्दोलन करके तत्कालीन समय में प्रचलित साहूकारों जमीदारों द्वारा गरीब किसानों मजदूरों से वसूले जाने वाले अनेकों व्यवसाय कर एवं लाग-बाग आदि जैसे कुम्हारों पर 'चाक-लाग', भेड बकरी पालकों पर 'कतरन लाग', दलित बुनकरों पर 'बुनकर लाग', नाइयों पर 'कतरन-लाग' को खत्म करार के शोषण से मुक्ति दिलायी।

छोटूराम ने कौमी एकता के लिए सभी पिछडी जातियों को 'अजगर' नाम देकर, अत्र अहीर, जत्र जाट, गत्र गुर्जर एवं रत्र राजपूत और रोडे सभी कृषक जातियों को संगठित कर एक कराने का प्रयास किया। वह साम्प्रदायि ऐकता के भी प्रतीक थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे किन्तु उन्होंने मजदूर किसानों के हित में असाधारण कार्य किये। सन् 1937 में झज्जर के जुझारू नेता चौधरी छोटूराम पहले विकास, शिक्षा व राजस्व मंत्री बने थे। उस समय अंग्रेजी सरकार ने किसानों की उपज गेहूँ की खरीद का मूल्य 6 रु. प्रतिमन घोषित किया। किन्तु छोटूराम ने किसानों के हित में अंगेजों से सीधे टक्कर लेकर 10 रु. प्रतिमन करने को कहा। नहीं करने पर किसानों की खेतों में खडी फसल जलाने की अंगेजों को धमकी दी। अन्त में अंग्रेजी सरकार झुकी और गेहूँ का खरीद मूल्य 11 रु. प्रतिमन घोषित किया गया।

28 मार्च, 1944 को जिन्ना ने पंजाब प्रांत के प्रधानमंत्री खिजर हयात खां पर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव बनाया किन्तु चौधरी छोटूराम के निर्देश पर प्रधानमंत्री हयात खां के द्वारा जिन्ना को 24 घंटे में पंजाब छोड़कर निकल जाने का आदेश करवाया। जिन्ना को आदेश की पालना में पंजाब से बाहर निकलना पड़ा। अहंकार की मूर्ति जिन्ना का ऐसा अपमान व प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गयी थी। क्योंकि पंजाब में हिन्दू-मुस्लिम बड़े प्रेम एवं एकता से मिल-जुलकर रह रहे थे। सन् 1924 से 1945 '422 वर्ष' तक पंजाब की राजनीति में अकेले सूर्य, चौधरी छोटूराम का 9 जनवरी, 1945 को 63 वर्ष 6 माह की आयु में निधन हो गया। वह आजीवन किसानों एवं कमेरा वर्ग के हित में कार्य करते रहे। वह एक सफल वकील/पत्रकार, प्रखर वक्ता एवं राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी थे। उनके स्तर का जमीनी नेता तत्कालीन समय में कोई नहीं था। वह वास्तव में किसानों, गरीब कमेरा वर्ग, दलितों के मसीहा थे। भारत सरकार के डाकतार विभाग ने उनकी स्मृति में सन् 1995 में एक डाक टिकट जारी कर सम्मानित किया है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनके ग्राम सांपला में 64 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व, बहुजनहितैशी महापुरुष बिरले ही पैदा होते हैं। आओ जो उनकी जयन्ती पर सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

–यादराम सिंह यादव,
वरिष्ठ लेखकेवं स्वतंत्र पत्रकार

राशिफल

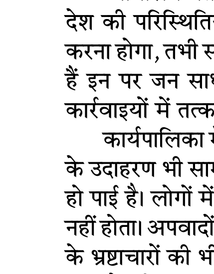

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 24 नवम्बर, 2022

मार्गशीष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2079, अनुराधा नक्षत्र सांय 7:37 तक, अतिगंड योग दिन 12:19 तक, किस्तुघ्न करण दिन 3:02 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृष, बुध-वृश्चिक, गुरू-मीन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 7:37 तक है। आज शुक्र उदय रात्रि 12:15 पर होगा। आज रूद्रव्रत (पीडिया व्रत), भगवान पुष्प दन्त जन्म और तप कल्याणक दिवस (जैन) है और भैरव षटगत उत्सव आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:16 तक, चर 10:54 से 12:13 तक, लाभ-अमृत 12:13 से 2:51 तक, शुभ 4:10 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:57, सूर्यास्त 5:30

मेष

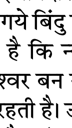

परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाणी की कटुता के कारण परिवार में तनाव हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

वृष

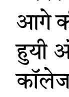

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

मिथुन

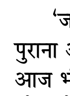

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कर्क

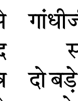

परिवार में मांगलिक और महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। चलते व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह

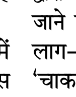

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अतिथियों के आगमन से भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बना रहेगा।

कन्या

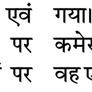

आर्थिक/वित्तीय मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में संदेश प्राप्त होंगे।

तुला

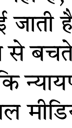

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक

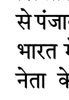

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

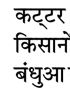

व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आवश्यक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

मकर

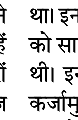

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ

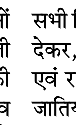

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यक्तिगत कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है।

मीन

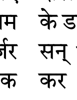

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।